



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466 (O)

पत्रांक : 19M(05)CAMPA(2021-22)- 365

दिनांक : 17.09.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद/ उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदनीनगर / उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदनीनगर/ वन्य प्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग/ वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची/ उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर/ खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" योजना के "वन्यजीव पर्यावास का विकास कार्य" अन्तर्गत समापन एवं सम्पोषण कार्यों के सम्पादन हेतु कुल रु0 143.53190 लाख (एक करोड़ तैंतालिस लाख तिरपन हजार एक सौ नब्बे रुपये) मात्र का उप-आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- 1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021 - 08/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 13.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021 - 26/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 16.09.2021
2. इस कार्यालय का पत्रांक 185 दिनांक 13.05.2021, पत्रांक 186 दिनांक 13.05.2021 एवं ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष -103- राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप शीर्ष- 05-"वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में "वन्यजीव पर्यावास का विकास कार्य" अन्तर्गत समापन एवं सम्पोषण कार्यों के सम्पादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 143.53190 लाख (एक करोड़ तैंतालिस लाख तिरपन हजार एक सौ नब्बे रुपये) का उप-आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	मजदूरी	19S240604103050103	121.63665
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S240604103050323	21.89525
कुल :-			143.53190

1. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप-आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/ उप वन संरक्षक/ उप निदेशक होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप-आवंटन का सारांश अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

2. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में लगाये गये शर्तों के अनुरूप ही सभी कार्यों का सम्पादन किया जाय।


4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाय।

Sanjiv
17/9/2021

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य के लिए राशि उप-आवंटित की जा रही है, उसकी राशि पूर्व में ad-hoc CAMPA account में जमा कर दी गई है। स्थानीय बैंक में रखी राशि के विरुद्ध किसी भी कार्य को कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं किया जाय।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्थल विशिष्ट स्वीकृत प्राक्कलन तथा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा। यह प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत योजनावार विभागीय कार्य दर के अनुसार प्राक्कलित राशि के अनुरूप होगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के किसी योजना के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग योजना का नाम स्वयं नहीं देंगे।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।
8. अगर संलग्न विवरणी में किसी भी वन प्रमण्डल के पक्ष में प्रदर्शित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में कोई विसंगति पायी जाती है, तो कृपया इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में तुरंत लाया जाय ताकि उसका इस वित्तीय वर्ष में निराकरण किया जा सके।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत कार्य नियोजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना के अनुरूप सम्पादित कराया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के कैम्पा वार्षिक कार्य योजना से सम्पादित कराये गये सभी कार्यों से संबंधित सूचनाओं को e-green watch portal पर upload करने के पश्चात् ही राशि की निकासी/व्यय किया जाय।
11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है –

- (i) Utilization of State Compensatory Afforestation Fund (CAF) shall be done in such a manner that at least 80 per cent in used for afforestation forest development and wildlife habitat improvement and maximum 20 per cent be used for infrastructure/capacity building related items.
- (ii) The State Authorities shall ensure that uploading of the correct KML files and geo-coordinates of afforestation and major undertaken during the year 2020-21 along with their photographs (before plantation and after plantation, and thereafter annually) has been completed,
- (iii) All concerned officers shall also ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.
- (iv) Local species, especially fruit and fodder species, has to be given preference in afforestation/regeneration to be carried out; monoculture should not be undertaken, and planting of exotic species shall be avoided.
- (v) Soil and moisture conservation work shall be carried out in an integrated manner under watershed approach from "ridge to vally" only in degraded forests. This shall focus on assisted natural regeneration and supplemented by artificial seeding with quantifiable monitoring parameters. Construction of dams, stop dams and ponds and their deepening are to be taken up only if they are a part of an integrated soil and moisture conservation plan of the catchment area. Since this component (SWC for regeneration of forests) is a very large work, the efficacy of the design and the activities shall be concurrently monitored by a reputed independent agency. Actions will be, accordingly, taken during the lifetime of each project. The overall impact on improved forest regeneration shall be shared with NAEB (MoEF&CC) on an annual basis.


12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 में निहित निम्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 185 दिनांक 13.05.2021 द्वारा भेजी गयी है—


17/9/2021


- (i) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास संबंधी कार्य अनुमोदित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना अथवा कार्य नियोजना के अनुसार किये जायेंगे।
- (ii) NPV & Penal NPV में संदर्भित वनभूमि पर किए जानेवाले कार्य कार्य नियोजना (Working Plan)/ अनुमोदित वन्यजीव प्रबंधन योजना के अनुसार किए जाएंगे।
- (iii) परंतु यह कि वे कार्य, जो कार्य नियोजना के अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति के परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।
- (iv) परंतु यह कि वे कार्य, जो अनुमोदित कार्य नियोजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, यथालागू ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से सम्पादित कराये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।
- (v) ग्राम सभा/ ग्राम वन समिति/ अन्य प्राधिकरण के उपरोक्त वर्णित परामर्श का अभिलेख संधारित किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 13.09.2021 में अधिरोपित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :-

13. (i) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- (ii) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
- (iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
14. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।
15. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे—
- (ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
- (iii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
- (iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।
- (v) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

 17/9/2021


- (VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।
- (VII) वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृत योजना की प्रारंभिक प्रविष्टि सभी बाउण्ड्री आधारित पॉलीगन पर किया जाय। तदनुसार राशि विमुक्त की जाय।
16. **Monitoring:** विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी:-
- (क) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।
- (ख) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
17. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करेंगे।
- (V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।
- (VI) योजना का संक्षिप्त ब्यौरा e-green watch पर नियमित रूप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।
- (VII) सभी भुगतान यथासंभव DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।
- (IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
- (X) कंडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO को होगा।
18. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय यथासंभव e-GEMS से किया जाय।
- (III) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय यथासंभव e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

 17/9/2021

19. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।
20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान यथासंभव मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में कंडिका 17 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।
21. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगे। नियंत्रि एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।
22. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कंडिका 17(VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।
23. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
24. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
25. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
26. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 दिनांक 13.09.2021 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्रेषित है में उल्लिखित शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक का होगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त।


आपका विश्वासी,

17/9/2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
14/09

ज्ञापांक- 19M(05)CAMPA(2021-22)- 365

दिनांक- 17.09.2021

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याध परियोजना, मेदिनीनगर / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / जमशेदपुर / बोकारो / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / जमशेदपुर / बोकारो / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।



17/9/2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 19M(05)CAMPA(2021-22)- 365

दिनांक- 17.09.2021

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / खूँटी / सरायकेला-खरसावां / धनबाद / मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।


17/9/2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड कैम्पा

अनुलग्नक-1

वार्षिक कार्य योजना 2021-22 : उपशीर्ष "05-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य"

(मजदूरी दर : ₹0 311.33 प्रति मानव दिवस)


(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	वन्यजीव पर्यावास का विकास कार्य															
		सिल्वीकल्चर ऑपरेशन								घास मैदान का विकास							
		समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)				सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)				समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)				सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)			
		भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	150.00	10.60079	1.71000	12.31079	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	---	---	---	---	200.00	4.54542	---	4.54542	---	---	---	---	200.00	21.79310	7.00000	28.79310
3	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	100.00	7.06719	1.14000	8.20719	250.00	5.68177	---	5.68177	---	---	---	---	---	---	---	---
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	500.00	35.33596	5.70000	41.03596	---	---	---	---	6.00	2.33498	1.30000	3.65498	20.00	2.17931	0.70000	2.87931
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	50.00	3.53360	0.57000	4.10360	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	100.00	7.06719	1.14000	8.20719	200.00	4.54542	---	4.54542	---	---	---	---	---	---	---	---
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	कुल योग	900.00	63.60473	10.26000	73.86473	650.00	14.77261	---	14.77261	6.00	2.33498	132000	3.65498	220.00	23.97241	7.70000	31.67241

17/12/21

17/12/21

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	वन्यजीव पर्यावास का विकास कार्य				सकल योग		
		बॉस वृक्षारोपण						
		सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
		भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि
1	2	19	20	21	22	23	24	25
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	---	---	---	---	10.60079	1.71000	12.31079
2	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	---	---	---	---	26.33852	7.00000	33.33852
3	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	---	---	---	---	12.74896	1.14000	13.88896
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	---	---	---	---	39.85025	7.72000	47.57025
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	---	---	---	---	3.53360	0.57000	4.10360
6	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	100.00	10.27389	1.58500	11.85889	21.88650	2.72500	24.61150
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	40.00	4.10956	0.63400	4.74356	4.10956	0.63400	4.74356
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	25.00	2.56847	0.39625	2.96472	2.56847	0.39625	2.96472
	कुल योग	165.00	16.95192	2.61525	19.56717	121.63665	21.89525	143.53190


 उपर प्रधान मुख्य वन सहायक,
 कैम्पा, हजारीबाग, राँची।
 17/9/2021

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S24060410305010103	19S24060410305010325	7-6a1
1	2	3	4	5	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	8
1	Dhanbad	DHNFOR001 ✓	Sri Bimal Lakra	Divisional Forest Officer	₹10,60,079.00 (46156)	₹1,71,000.00 (46164)	₹12,31,079.00
2	Palamu	PLMFOR069 ✓	Kumar Ashish Ifs	Dy.Dir.Tiger.Pro.North.Div.Med	₹26,33,852.00 (46157)	₹7,00,000.00 (46165)	₹33,33,852.00
3	Palamu	PLMFOR068 ✓	Mukesh Kumar	Dy.Dir.Tiger.Pro.South.Div.Med	₹12,74,896.00 (46158)	₹1,14,000.00 (46166)	₹13,88,896.00
4	Hazaribagh	HZBFWL016 ✓	Awanish Kumar Chaudhary	D.F.O.Wild Life Hzb	₹39,85,025.00 (46159)	₹7,72,000.00 (46167)	₹47,57,025.00
5	Doranda	DRNFWL049 ✓	Umesh Sahani	Dfo Wild Life Division Ranchi	₹3,53,360.00 (46160)	₹57,000.00 (46168)	₹4,10,360.00
6	Jamshedpur	JSRFOR002 ✓	Shri Abhishek Kumar (I.F.S) ✓	Dy.C.F.& F.D.Proj.Elephant Jsr	₹21,88,650.00 (46161)	₹2,72,500.00 (46169)	₹24,61,150.00
7	Khunti	RNCFORK01 ✓	Kuldeep Meena	D.F.O Khunti	₹4,10,956.00 (46162)	₹63,400.00 (46170)	₹4,74,356.00
8	Seraikela	SKLFOR001 ✓	Aditya Narayan	D. F. O. Seraikella-Kharsawan	₹2,56,847.00 (46163)	₹39,625.00 (46171)	₹2,96,472.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,43,53,190.00 (,d djksM rhj;kyhl yk[k rhjiu gtkj ,d lkS uCcs) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए


(SANJEEV KUMAR)
ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND RANC

009
17/9/2024
Addl. PCCF. CAMPA
Jharkhand. Ranchi



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 19M05CAMP_A_2021/365

दिनांक - 17-Sep-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060410305010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते	46156	DHNF001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	1,060,079.00 रुपये दस लाख साहठ हजार उन्नासी
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060410305010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते	46157	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	2,633,852.00 रुपये छब्बीस लाख तैतीस हजार आठ सौ बावन
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060410305010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते	46158	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	1,274,896.00 रुपये बारह लाख चौहत्तर हजार आठ सौ छयानवे
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 4,968,827.00

क्रमिक योग:

रुपये उनचास लाख अडसठ हजार आठ सौ सत्तहस

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR)
17/9/2021
ADDL PCCF, CAMP, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060410305010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते	46159	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 03 - मजदूरी	3,985,025.00 रुपये उनचासीस लाख पिचयासी हजार पच्चीस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060410305010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते	46160	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 03 - मजदूरी	353,360.00 रुपये तीन लाख तीरपन हजार तीन सौ साहस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060410305010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते	46161	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 03 - मजदूरी	2,188,650.00 रुपये इक्कीस लाख अठयासी हजार सौ पचास
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:




रुपये एक करोड चौदह लाख पिनचानवे हजार आठ सौ बासठ

6,527,035.00

क्रमिक योग:

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR) 17/9/2021
ADDLBCCE CAMP A JHARKHAND

11,495,862.00

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060410305010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	46162	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	410,956.00 रुपये चार लाख दस हजार नौ सौ रुपयन 
8	S 19 24060410305010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	46163	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदूरी	256,847.00 रुपये दो लाख छप्पन हजार आठ सौ सैतालीस 
9	S 19 24060410305010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	46164	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सायग्री	171,000.00 रुपये एक लाख इकहत्तर हजार 

योग:

रुपये एक करोड तेइस लाख चौतीस हजार छः सौ पैंसठ

838,803.00

क्रमिक योग:

(SANJEEV KUMAR)

12,334,665.00

ADDL PCCF CAMP, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060410305010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	46165	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	700,000.00 रुपये सात लाख
11	S 19 24060410305010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	46166	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार
12	S 19 24060410305010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	46167	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	772,000.00 रुपये सात लाख बहत्तर हजार

योग:

रुपये एक करोड उनचालीस लाख बीस हजार सौ पैसे

1,586,000.00

क्रमिक योग:

(SANJEEV KUMAR)

13,920,665.00

ADDL PCCF, CAMP A, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060410305010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय	46168	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	57,000.00 रुपये सत्तावन हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060410305010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय	46169	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	272,500.00 रुपये दो लाख बहत्तर हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060410305010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय	46170	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	63,400.00 रुपये तीरसठ हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड तीरयालीस लाख तेरह हजार पाँच सौ पैसे

392,900.00

क्रमिक योग:

Sanjeev Kumar
(SANJEEV KUMAR)
17/9/2021
ADDL PCCF CAMP, JHARKHAND

14,313,565.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060410305010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 01-वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय	46171	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	39,625.00 रुपये उनचालीस हजार छः सौ पच्चीस
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		

योग:

39,625.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड तीरयालीस लाख तीरपन हजार एक सौ नब्बे

14,353,190.00

ADDL PCCF CAMPA JHARKHAND